



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 357] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 1979/भाद्र 13, 1901
No. 357] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 1979/BHADRA 13, 1901

इस भाग में बिना पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर 1979

का. आ. 511(अ).—केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि भारतीय स्वस्थ
संस्थान तथा प्रयोगशाला लिमिटेड, कलकत्ता, जो कि एक औद्योगिक उपक्रम है
जो जिसकी बाबत अन्वेषण, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन किया गया है, का प्रबन्ध इस
ढंग से किया जा रहा है जो लोकहित के लिए अपायकर है।

2. अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार में बन्द तथा रुग्ण
उद्योग विभाग, कलकत्ता के सचिव को (जिसे हममें हमके पश्चात् प्राधिकृत

व्यक्ति कहा गया है) उक्त उपक्रम के, अर्थात्, भारतीय स्वास्थ्य संस्थान तथा प्रयोगशाला लिमिटेड, कलकत्ता के, सम्पूर्ण प्रबन्ध का निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा ;
- (2) प्राधिकृत व्यक्ति राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के लिए अपना पद धारण करेगा, और
- (3) प्राधिकृत व्यक्ति, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो, प्रबन्ध बोर्ड के किसी भी सदस्य की नियुक्ति को समय पूर्व भी समाप्त कर सकेगा ।

3. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. 4/7/74 सि.यू.सी.]

ब. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 4th September, 1979

S.O. 511(E).—Whereas the Central Government is of opinion that Indian Health Institute and Laboratory Limited, Calcutta, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Secretary to the Government of West Bengal, Closed and Sick Industries Department, Calcutta (hereinafter referred to as the Authorised Person) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Indian Health Institute and Laboratory Limited, Calcutta subject to the following terms and conditions, namely :—

- (i) The Authorised Person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government ;
- (ii) The Authorised Person shall hold office for two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette ; and
- (iii) The Authorised Person may terminate the appointment of any of the persons comprising the Board of Management earlier if he considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of two years commencing on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4/7/74-Cuc.]

B. ROY, Jt. Secy.